58

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4292–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–2013 – पारित द्वारा – अपर कलेक्टर जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 64 अ–12/2011–12 निगरानी

1– महरजुआ पत्नि स्व.अयोध्याप्रसाद पाण्डेय
2– हर्षलाल पाण्डेय पुत्र अयोध्याप्रसाद पाण्डेय
3– दिनेश लाल पुत्र अयोध्याप्रसाद पाण्डेय
तीनों ग्राम डिहिया पडान तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा मध्य प्रदेश

———आवेदकगण

विरूद्ध

मधुसूदनप्रसाद पाण्डेय पुत्र केमला प्रसाद पाण्डेय
ग्राम डिहिया पडान तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा मध्य प्रदेश

———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक तिवारी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 64 अ–12/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार सर्किल खर्रा तहसील नईगढ़ी को आवेदन देकर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 254, 817 स्थित ग्राम डिहिया पढ़ान के सीमांकन की मांग की । नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 9 अ 12/10–11 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक नईगढ़ी को सीमांकन के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक नईगढ़ी ने हलका पटवारी एंव अन्य पटवारी सहित दिनांक 10–6–11 को मौके पर जाकर

सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15-6-11 प्रस्तुत किया। सीमांकन पर आपत्ति न आने से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-8-11 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार नईगढ़ी के इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 64 अ-12/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-9-13 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित अधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन पर जाने के पूर्व समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई है एंव सभी मेढ़िया कास्तकारों की उपस्थित में दो पटवारियों के सहयोग से सीमांकन किया है। राजस्व निरीक्षक ने जो सूचना पत्र मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराया है उस पर आवेदक कमांक 2 के हस्ताक्षर हैं, परन्तु समय रहते उनके व्दारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15-6-11 को प्रस्तुत हुआ है एंव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-8-11 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है अर्थात मेढ़िया कास्तकारों को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है

कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 23-8-11 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर जिला रीवा ने आदेश दिनांक 17-9-13 में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि तहसीलदार का आदेश विधि अनुरूप है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 64 अ-12/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-9-13 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर